भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 404

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

सहकारी बैंकों के घोटाले

404. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में सहकारी बैंकों के अनजान ग्राहकों के नाम पर घोटालों और बड़े पैमाने पर दुर्विनियोग और फर्जी ऋणों की बढ़ती घटनाओं के बारे में पता है जो देश में सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित पतन का कारण बन रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरल राज्य के त्रिस्सूर जिले के करूवन्नूर सहकारी बैंक में धन की हेराफेरी, गबन और जाली ऋण से संबंधित मामलों में केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी है, और, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश में सहकारी बैंकों में कारोबार करने और लेन-देन करने के लिए एक समान नीति निर्देश लागू कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) जब कभी भी धोखाधड़ी/ गबन के मामले सामने आते हैं, सम्बंधित नियामक प्राधिकरण आवश्यक कारवाई करते हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, राज्य एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के सम्बंधित प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किये जाते हैं। प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समिति (पैक्स) राज्य सरकार द्वारा विनियमित की जाती है।

(ख) जी नहीं |

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बनाई गई नीतियां बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत सहकारी बैंकों पर समान रूप से लागू होती हैं।

*****